


उत्तराखण्ड शासन  
ग्राम्य विकास अनुभाग-3  
संख्या 627/xi/16/53(07)2013  
देहरादून, दिनांक: २४ अक्टूबर, 2016

अधिसूचना 627/xi/16/53(07)2013, दिनांक 24 अक्टूबर 2016 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड सहायक खण्ड विकास अधिकारी अराजपत्रित सेवा नियमावली 2016" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना प्रतियां ग्राम्य विकास अनुभाग-3 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड नैनीताल।
8. स्टाफ आफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड पौड़ी।
10. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।

आज्ञा से  
  
(एस0एस0 वल्लिया)  
संयुक्त सचिव।

**उत्तराखण्ड शासन**  
**ग्राम्य विकास अनुभाग-3**  
**संख्या 627 /XI/2015/53(07)13**  
**देहरादून दिनांक 28 अक्टूबर, 2016**  
**अधिसूचना**

राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों को अधिकमित करके उत्तराखण्ड सहायक खण्ड विकास अधिकारी अराजपत्रित सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तराखण्ड सहायक खण्ड विकास अधिकारी अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2016**

**भाग-एक-सामान्य**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| संक्षिप्त नाम<br>और प्रारम्भ | 1. (1) यह नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहायक खण्ड विकास अधिकारी, अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2016 है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।   |
| सेवा की<br>प्रारिथति         | 2. उत्तराखण्ड सहायक खण्ड विकास अधिकारी, अराजपत्रित सेवा एक में समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।   |
| परिभाषाएं                    | 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-<br>(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड से अभिप्रेत है।<br>(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय।<br>(ग) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है।<br>(घ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है।<br>(ङ) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।<br>(च) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संदर्भ में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।<br>(छ) "सेवा" से उत्तराखण्ड सहायक खण्ड विकास अधिकारी, अराजपत्रित सेवा अभिप्रेत है।<br>(ज) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो, और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो। |

- (झ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

**भाग-दो-संवर्ग**

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय।  
(2) जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन के आदेश न दिये जाय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट में दी गई है।

परन्तु-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।  
(2) राज्यपाल, ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

**भाग-तीन-भर्ती**

भर्ती का स्रोत

5. "मौलिक रूप से नियुक्त ग्राम्य विकास अधिकारियों में, से जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा"।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

**भाग-चार-भर्ती की प्रक्रिया**

रिक्तियों की अवधारणा

7. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

- 8 (1) सहायक खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

(2) पदोन्नति हेतु एक चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(एक) आयुक्त, ग्राम्य विकास	अध्यक्ष
(दो) अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास	सदस्य
(तीन) उपायुक्त (प्रशासन)	सदस्य
(चार) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट ग्राम्य विकास विभाग, का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी।	सदस्य

(3) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की सूची उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग क्षेत्र के बाहर के पदों पर चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 के अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाएं चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि यह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थी का साक्षात्कार भी कर सकती है।

**टिप्पणी—** चयन समिति अभ्यर्थियों की एक सूची उसी ज्येष्ठता क्रम में जैसी कि वह उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

#### **भाग—पांच— नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता**

नियुक्ति

9. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम नियम 8 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाए तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा, जैसा कि उस संवर्ग में था, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

परिवीक्षा

10. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ायी जाय।

परन्तु यह कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहता है तो उसे उसके मौलिक पद पर, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 11. उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह घोषणा करते हुए दिया गया आदेश कि परिलक्षित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता 12. सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002" के अनुसार अवधारित की जायेगी।

#### भाग छ:- वेतन इत्यादि

वेतनमान 13. सेवा में पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान परिशिष्ट-क के अनुसार होगा, जब तक कि राज्य सरकार के द्वारा परिवर्तन या संशोधन न कर दिया जाय।

परिवीक्षा अवधि के दौरान  
में वेतन 14.

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध में होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर जहाँ विहित हो समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परीविक्षा अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

- (2) परीविक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन जो सरकार के अधीन पहले से ही कोई पद धारण कर रहा हो, परीविक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।


परन्तु यदि सन्तोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परीविक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

- (3) परीविक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का, वेतन जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में है परीविक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवाओं पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होगा।

- पक्ष समर्थन 15. किसी पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।
- अन्य विषयों का विनियम 16. ऐसे विषयों के संबंध में जो, इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।
- सेवा की शर्तों में शिथिलता 17. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्ति नियुक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी प्रकार विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह आयोग के परामर्श से उस मामले में लागू होने वाले नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह मामले में न्यासंगत और साम्यपूर्ण रीति के कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

18 इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।



(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट 'क'

(नियम-4(2) एवं 13 देखिये)

क्र०स०	पद का नाम	वेतनमान (रूपये में)	पदों की संख्या		
			स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक खण्ड विकास अधिकारी,	5200-20200 ग्रेड पे-2800	190	-	190

  
(मनीषा पंवार)  
प्रमुख सचिव।



In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 627/XI/16 Dated 28/10/16 for general information.

**Government of Uttarakhand**

**Rural Development Department**

No.- 627 /XI/16/53(07)/2013

Dehradun: Dated : 28 Oct , 2016

**Notification**

**MISCELLANEOUS**

In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of "the Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, regulating recruitment and the condition of services of persons appointed to the Uttarakhand Assistant Block Development Officers (Non-Gazetted) Service.

**THE UTTARAKHAND ASSISTANT BLOCK DEVELOPMENT OFFICERS (NON-GAZETTED)**  
**SERVICE RULES, 2016**

**PART-1**

**GENERAL**

- Short title and commencement** 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Assistant Block Development Officers (Non-Gazetted) Service Rules, 2016.  
(2) it shall come into force at once.
- Status of Service** 2. The service of Uttarakhand Assistant Block Development Officers (Non-Gazetted) service comprises Group 'C' posts.
- Definitions** 3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
- (a) "Appointing Authority" means the Commissioner, Rural Development, Uttarakhand;
  - (b) "Citizen of India" Means, a person, who is or is deemed to be citizen of India under Part II of "the Constitution of India";
  - (c) "Constitution" means "the Constitution of India";
  - (d) "Government" means the State Government of Uttarakhand;
  - (e) "Governor" means the Governor of Uttarakhand;
  - (f) "Member of cadre" means a person appointed in substantive capacity under these rules or order in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the service;
  - (g) "Service" means Uttarakhand Assistant Block Development Officers (Non-Gazetted) Service;

(h) "Substantive Appointment" means an appointment not being an *ad hoc* appointment on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction, issued by the Government;

(i) "Year of recruitment" means a period of twelve months commencing from the First day of the July of a calendar year.

**PART - II**

**CADRE**

Cadre of Service

4.

(1) The strength of the service and of each category of numbers of posts shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts included there shall, until orders varying the same have been passed under sub-rule (1), be as given in Annexure "A" :

Provided that :-

(a) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without there by entitling any person to compensation;

(b) the Governor may create such additional permanent or temporary posts, as he may consider proper.

**PART - III**

**Recruitment**

Source of Recruitment

5.

Recruitment to the post of Assistant Block Development Officers shall be made by promotion from amongst on the basis of seniority by the Selection Committee such substantively appointed Village Development Officer of the Rural Development Department Uttarakhand who have completed seven years of service, as such, on the first day of the year of recruitment.

Reservation

6.

Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories of the State of Uttarakhand shall be in accordance with orders of the Government in force at the time of recruitment.

**PART - IV**

**Procedure for Recruitment**

Determination of vacancies

7.

The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment, as also the number of vacancies to be reserved for the candidate belonging to the Scheduled Castes, Schedule Tribe, Other Backward Classes and other categories to the State of Uttarakhand under rule 6.

**Procedure for 8.  
Recruitment  
Promotion**

- (1) Recruitment by promotion to the post of Assistant Block Development Officer shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.
- (2) For the purpose of promotion there shall be constituted a Selection Committee comprising of :-
  - (i) Commissioner, Rural Development Uttarakhand, -Chairman
  - (ii) Additional Commissioner, Rural Development Uttarakhand, - Member
  - (iii) Deputy Commissioner (Administration), Rural Development Uttarakhand, - Member
  - (iv) A Officer of the Rural Development Department belonging to Scheduled Caste/ Scheduled Tribes categories nominated by the Appointing Authority, -Member
- (3) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates and place it before the selection committee along with their character roles and such other records, pertaining to them, as may be considered proper Uttarakhand Promotion by selection, in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 as amended from time to time.
- (4) The selection committee shall consider the candidate on the basis of their records refers to in sub-rule (3), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

**Note**— The Selection Committee shall prepare a lists of selected candidates, arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

**PART - V**

**APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY**

**Appointment**

**9.**

- (1) The Appointing Authority shall make Appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 8.
- (2) If any more than one orders of Appointment are issued in respect of any one selection combined order shall also be issued mentioning the names of the persons in order of the seniority as it stood in the cadre from which they are promoted.

- Probation**
10. (1) A person on substantive Appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.  
(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted :  
Provided that have in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.  
(3) If it appears to Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, his services may be dispensed with.  
(4) A probationer, whose services are dispensed with under sub-rule (3), shall not be entitled to any compensation.  
(5) The Appointing Authority may allow continuous service rendered in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
- Confirmation**
11. Where in accordance with the provisions of the Uttarakhand State Government Servants Confirmation Rules, 2002 as amended from time to time, confirmation is not necessary the order under sub-rule (3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.
- Seniority**
12. The seniority of persons substantively appointed in posts shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.
- PART - VI**  
**PAY ETC.**
- Scale of pay**
13. The Scale of pay admissible to persons appointed to the post of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time, given in Annexure "A".
- Pay during probation**
14. (1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules to the contrary, a person on probation if he is not already in permanent Government service shall be allowed his first increment in time scale when he has completed one year of satisfactory service has passed departmental examination and under gone training where prescribed and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed.

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules;

Provided that if the period of probation extended on account of failure to five satisfactions, such extension shall no count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

- (3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs for the state.

#### PART - VII

#### OTHER PROVISIONS

- |   |            |   |
|---|------------|---|
| <b>Canvassing</b>                               | <b>15.</b> | No recommendation either written or oral other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for Appointment.   |
| <b>Regulation of other matters</b>              | <b>16.</b> | In regard to the matters not specifically conversed by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to the Government servants serving in connection with the affaire of the State.  |
| <b>Relaxation from the condition of service</b> | <b>17.</b> | Where the state Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such condition, it may consider necessary for dealing with case in a just and equitable manner. |
| <b>Savings</b>                                  | <b>18.</b> | Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidate belonging, to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons to the State of Uttarakhand in accordance with the order of the Government issued from time to time in this regard.   |

  
(Manisha Panwar)  
Principal Secretary

**ANNEXURE- 'A'**  
**[Please see sub-rule (2) of rule 4 and 13]**

Sl. No.	Name of the post	Pay scale (in Rupee)	Number of Posts		
			Permanent	Temparary	Total
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1-	Assistant Development Officer Block	5200-20200 Grade Pay-2800	190	--	190

  
**(Manisha Panwar)**  
**Principal Secretary**